रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 655] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1995/अग्रहायण 1, 1917
No. 655] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1995/AGRAHAYANA 1, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1995

का. आ. 931 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्याय निर्णयण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी. एल. ए.), पीपुल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक (प्रिपक), कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (के. सी. पी.) और उनका सशस्त्र विंग जो "रेड आर्मी" कहलाता है, यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू. एन. एल. एफ.) और कांगलेई यावल कांबा लूप (के.

थाई. के. एल.) को विधि विरूद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित करती है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन होंगे।

[फा. सं. 8/32/95-एन.ई.-I]
अरविन्द वर्मा, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1995

S.O. 931 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Peoples Liberation Army (PLA), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP) and their armed wing called as "Red Army", United National Liberation Front (UNLF), and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) as unlawful associations, consisting of Mr. Justice Vijender Jain, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 8/32/95—NE. I]
ARVIND VERMA, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995